




तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस जारी हुए
13 ⁰⁶ 2023	पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 15/06/2023 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी रावतभाय	
15 ⁰⁶ 2023	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी पेशीकार सरकार की वाद तामिल प्राप्त जो शा.फा. की गई। पीठासीन अधिकारी मही. प्रशा. गाँवों के संग अभि. 2023 (MRC-2023) में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी दिनांक 11/07/2023 को पेश हो। 	
11 ⁰⁷ 2023	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पेशीकार सरकार तहसीलदार रावतभाय न्यायालय में उपस्थित होकर पत्रावली में No-objection प्रस्तुत कर पत्थरगद्दी किए जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की तथा पत्थरगद्दी किए जाने में सहमति व्यक्त की। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दिनांक 13/07/2023 को पेश हो।  S.D.O	No objection — 32
13 ⁰⁷ 2023	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र धारा-128 पर बहस सुनाई। उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली को	

Page
Date

11/10/2019
105/10000

पत्रावली

पत्रावली

अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। एहस पर गनन किया गया। प्राची अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगद्दी करना चाहता है। तथा पुरोकार सरकार के सहमति व्यक्त करने से पत्रावली में प्राची का प्रा.पत्र. धारा-128 स्वीकार योग्य माना जाता है। अतः प्राची का प्रा.पत्र. धारा-128 बाबत, पत्थरगद्दी का स्वीकार किया जाता है। पत्थरगद्दी का आदेश। नियम 4 धक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया। पत्रावली क्रिसल नुमार होकर नम्बर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो


उपखण्ड अधिकारी
रावतपाटा (चित्तौड़गढ़)

10/10/2019

पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। एहस पर गनन किया गया। प्राची अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगद्दी करना चाहता है। तथा पुरोकार सरकार के सहमति व्यक्त करने से पत्रावली में प्राची का प्रा.पत्र. धारा-128 स्वीकार योग्य माना जाता है। अतः प्राची का प्रा.पत्र. धारा-128 बाबत, पत्थरगद्दी का स्वीकार किया जाता है। पत्थरगद्दी का आदेश। नियम 4 धक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया। पत्रावली क्रिसल नुमार होकर नम्बर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो

10/10